

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना-23, दिनांक-

विषय:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-02-101-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान के अन्तर्गत कुल रु० 2.6859 करोड़ (दो करोड़ अड़सठ लाख उनसठ हजार रुपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:-स्वीकृत।

- इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़, चक्रवात आदि, लघुशीर्ष-101-आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष-0001-निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान मद, मांग संख्या-39, विपत्र कोड-39-2245021010001 में विषय शीर्ष-35 01-नगद/वस्तु के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- पूर्व/वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है :-

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र०	विभाग	पूर्व आवंटन (वित्तीय वर्ष 2026-27)	वर्तमान आवंटन (वित्तीय वर्ष 2026-27)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2026-27)
1	उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।	599.0047 (पाँच सौ निन्यानवे करोड़ सैंतालीस हजार रुपये)	2.6859 (दो करोड़ अड़सठ लाख उनसठ हजार रुपये)	601.6906 (छः सौ एक करोड़ उनहत्तर लाख छः हजार रुपये)

- उक्त आवंटित राशि से वर्ष 2026 में बाढ़ग्रस्त कटिहार जिला के अनुमानित बाढ़ प्रभावित 3837 परिवारों को आनुग्रहिक राहत का भुगतान PFMS के माध्यम से किया जाएगा।
- आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- आवंटित की गई राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाए। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र अवश्य भेज दिया जाए।
- आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष-लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाए।
9. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2027 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
10. राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
11. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

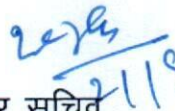
ह0/-

(मो० नदीमुल गप्फार सिद्दीकी)

अपर सचिव

ज्ञापांक-03/बजट-01-13/2026/176/आ0प्र0, पटना-23 दिनांक-21-09-26
प्रतिलिपि-

1. वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. माननीय मंत्री के आप्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. विभागीय प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार/लेखाशाखा को (दो प्रति में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. श्री अमन कुमार, प्रोग्रामर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


अपर सचिव